NEWS PAPER: ->

THE TIMES OF INDIA, PATNA TUESDAY, MARCH 19, 2024 (ENGLISH)

EDITION! -> BIHAR

DATE OF PUBLISING 1 19.03.2024.

BIHAR GRID COMPANY LIMITED

(A Joint Venture of BSP(H)CL & POWERGRID)
2nd FLOOR, ALANKAR PLACE, BORING ROAD,
PATNA - 800 001, TEL No. 0612-2536001
CIN: U40100BR2013PLC019722



PUBLIC NOTICE

Request for Comments/ Suggestions/ Objections

1. Bihar Grid Company Limited (BGCL), transmission licensee hereby gives notice to all stakeholders and the general public that it has filed a Petition for approval of leasing of fiber of OPGW Network of BGCL under BERC (Multi Year Transmission Tariff & SLDC Charges) Regulations, 2021, BERC (Conduct of Business) Regulations, 2005 and BERC (Treatment of Income of Other Business of Transmission Licensees and Distribution Licensees) Regulations, 2013 along with the E.A. 2003 read with the relevant guidelines. The petition has been taken on record by the Hon'ble Commission as Case No. 01 of 2024.

2. Abridged form of the Petition is indicated below:

a. BGCL currently possesses 24 fibers within its OPGW network. With this resource in mind, BGCL aims to lease out the maximum pairs of fiber from its existing OPGW network. This initiative is intended to support Internet Service Providers and other telecom players in expanding their services throughout Bihar. Moreover, it will also aid in the growth of new industries and companies that rely on internet services, all while ensuring there are no adverse effects on Normal Transmission Operations.

b. BGCL has received the Registration Certificate (Certificate No. 1318/2022, dated 14.07.2022) for infrastructure Provider Category 1 (IP-1) from the Ministry of Communication (Department of Telecom), Government of India vide letter No. 10-67/

2022-CS-III, dated 14.07.2022.

c. BGCL prayed to the Hon'ble Commission to approve the sharing mechanism as specified in the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Revenue Derived from Utilization of Transmission Assets for Other Business) Regulations, 2020. As per this proposal, BGCL intends to share 10% of the gross revenue generated from the aforementioned business activities with consumers. This sharing mechanism will be implemented by passing on the revenue through tariff adjustments.

BGCL in its Petition has prayed for Regulatory Approval for carrying out the aforementioned business and further sharing mechanism of the corresponding revenue.

 General public and stakeholders are requested to submit comments/ suggestions /objections, if any to the Secretary, Bihar Electricity Regulatory Commission, Vidyut Bhawan-II, Bailey Road, Patna on or before 15.04.2024 by 05:00 P.M.

 The Bihar Electricity Regulatory Commission shall hear this matter on 18.04.2024 at 11.30 A.M.

Place: Patna Date: 19.03.2024 For Bihar Grid Company Limited Sr. G.M (Commercial) NEWS PAPER: >



EDITION: -> BIHAR

DATE OF PUBLISINU: >

पटना, मंगलवार 19.03.2024

बहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड बीएसपी (एच) सीएल एवं पावरगिड का संयुक्त उपकन) द्वितीय तल, अलंकार प्लेस, बोरिंग रोड पटना-800 001 फोन नं 0612-2536001 सीआईएन : U40100BR2013PLC019722

सार्वजनिक सूचना

टिप्पणियों / सुझावों / आपत्तियों के लिए अनुरोध

1. बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड (बीजीसीएल), पारेषण लाइसेंसधारी सभी हितधारकों और आम जनता को सूचित करता है कि उसने बीईआरसी (मल्टी ईयर ट्रांसिमशन टैरिफ और एसएलडीसी शुल्क) विनियम के तहत बीजीसीएल के ओपीजीडब्ल्यू नेटवर्क के फाइबर को पट्टे पर देने की मंजूरी के लिए एक याचिका दायर की है। 2021, बीईआरसी (व्यवसाय का संचालन) विनियम-2005 और बीईआरसी (ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों और वितरण लाइसेंसधारियों के अन्य व्यवसाय की आय का उपचार) विनियम-2013 ईए, 2003 के साथ प्रासंगिक दिशानिर्देशों के साथ पढ़ें। याचिका को माननीय आयोग द्वारा केस नंबर 01 / 2024 के रूप में रिकॉर्ड पर लिया गया है।

2. याचिका का सारांश निम्नवत् है :-

ए. बीजीसीएल के पास वर्तमान में अपने ओपीजीडब्ल्यू नेटवर्क में 24 फाइबर हैं। इस संसाधन को ध्यान में रखते हुए, बीजीसीएल का लक्ष्य अपने मौजूदा ओपीजीडब्ल्यू नेटवर्क से फाइबर के अधिकतम जोड़े को पट्टे पर देना है। इस पहल का उद्देश्य इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और अन्य दूरसंचार संस्थाओं को पूरे बिहार में अपनी सेवाओं का विस्तार करने में सहायता करना है। इसके अलावा, यह नए उद्योगों और कंपनियों के विकास में भी सहायता करेगा जो इंटरनेट सेवाओं पर निर्भर हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सामान्य ट्रांसिमशन संचालन पर कोई प्रतिकृत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बी. बीजीसीएल को भारत सरकार के संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) के पत्र क्रमांक 10-67 / 2022-सीएस-III, दिनांक 14.07.2022 के माध्यम से बुनियादी ढांचा प्रदाता श्रेणी 1 (आईपी-1) के लिए पजीकरण प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्र संख्या 1318 / 2022, दिनांक 14.07.2022) को प्राप्त हुआ है।

- सी. बीजीसीएल ने माननीय आयोग से केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (अन्य व्यवसाय के लिए ट्रांसिमशन परिसंपत्तियों के उपयोग से प्राप्त राजस्व का साझाकरण) विनियम, 2020 में निर्दिष्ट साझाकरण तंत्र को मंजूरी देने के लिए प्रार्थना की है, इस प्रस्ताव के अनुसार, बीजीसीएल उपभोक्ताओं के साथ उपरोक्त व्यावसायिक गतिविधियों से उत्पन्न सकल राजस्व का 10% साझा करने का इरादा रखता है। इस साझाकरण तंत्र को टैरिफ समायोजन के माध्यम से राजस्व हस्तांतरित करके लागू किया जाएगा।
- 3. बीजीसीएल ने अपनी याचिका में उपरोक्त व्यवसाय को चलाने और संबंधित राजस्व के आगे साझाकरण तंत्र के लिए विनियामक अनुमोदन की प्रार्थना की है।
- 4. आम जनता और हितधारकों से अनुरोध है कि वे टिप्पणी / सुझाव / आपत्ति, यदि कोई हो तो इसे सचित, बिहार विद्युत नियामक आयोग, विद्युत भवन-॥, बेली रोड, पटना को 15.04.2024 को शाम 05:00 बजे तक या उससे पहले प्रस्तुत करें।

5. बिहार विद्युत विनियामक आयोग इस मामले की सुनवाई विनांक 18.04.2024 को सुबह 11.30

बजे करेगा।

स्थान : पटना दिनांक : 19.03.2024 वास्ते बिहार ग्रिंड कंपनी लिमिटेड वरीय महा प्रबंधक (वाणिज्य).